संख्याः 218 / 36 /यू0एस0आर0एल0एम0/2013

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

सहायक महाप्रबन्धक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।

यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास **देहरादून** **दिनांक 25 फरवरी, 2014**

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित Category-I AIP जनपदों तथा Category-II के 11 Non AIP जनपद में एस.एच.जी. को वित्त पोषण उपरान्त ब्याज उपादान के दावें प्रस्तुत करने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि आज दिनांक 25.02.2014 को संयुक्त सचिव (आर.एल.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों क्रान्फ्रेसिंग के समय मुख्य ऑपरेशन अधिकारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक आई0ए0पी0 Category-I जनपद चमोली एवं बागेश्वर में महिला स्वंय सहायता समूहों को वित्त पोषण किये जाने के उपरान्त ब्याज उपादान की धनराशि के दावें नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में प्रस्तुत करने तथा **Category-II** के शेष 11 जनपदों में एन0आर0एल0एम0 के मानकों के पालन करने वाले स्वंय सहायता समूहों को वित्त पोषण किये जाने के उपरान्त ब्याज उपादान धनराशि के **Claims** (दावें) कार्यालय यू0एस0आर0एल0एम0 में दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु अपने स्तर से सभी शाखा प्रबन्धकों को निर्देशे निर्गत करने का कष्ट करें। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2014 से पूर्व यदि उक्त दावें की धनराशि का पूर्ण विवरण का मानक पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ब्याज उपादान धनराशि में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से उपरोक्त वर्णित अवधि में ब्याज उपादान धनराशि के दावें प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं सभी बैकों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0बी0थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पत्रांक– 218 /36 /यू0एस0आर0एल0एम0/2013 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि आप स्वंय शाखा प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में दावें प्राप्त कर सम्बन्धित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– समस्त सहायक परियोजना निदेशक/जिला मिशन प्रबन्धक, उत्तराखण्ड
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड
4– मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
5– मिशन निदेशक/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

25/02/14

(एच0बी0थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।